



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccfdevjhk@jharkhandmail.gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0ब0 -20/2017-358 दिनांक : 9/8/18

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर/
गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह ।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "मुख्यमंत्री जन वन योजना" योजना (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) (अन्य व्यय) के अंतर्गत फलदार पौधों का वृक्षारोपण एवं काष्ठ प्रजाति का वृक्षारोपण का घेरान कार्य के साथ (ट्रेंच/झाड़ी) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) हेतु **4.848 (चार लाख चौरासी हजार आठ सौ) रु0** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट-48/2016-37/स्वी0 व0प0 दिनांक 30.11.2017 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 4/यो0 बजट-48/2016-81/आ0 व0प0 दिनांक 12.12.2017 एवं इस कार्यालय का उप-आवंटन आदेश संख्या-101 दिनांक-23.01.2018 तथा पत्रांक-284 दिनांक- 27.02.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा पूर्व में उप-आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि का **4.848 (चार लाख चौरासी हजार आठ सौ)** का उप-आवंटन निम्नलिखित प्राथमिक इकाई में किया जाता है :-

क्र0 सं0	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	राशि (लाख में)
1	मजदूरी	19S240601102550103	2.109
2	आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601102550323	2.739
कुल योग :-			4.848

2. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1** पर एवं ऑन-लाईन उप-आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-2** के रूप में संलग्न है ।

